PRESS RELEASE

एएसपीए ने जारी की 'द स्टेट ऑफ काउन्टरफीटिंग इन इंडिया रिपोर्ट – 2020'

भारत में नकली उत्पादों के मामलों की संख्या 2018 की तुलना में 2019 में 24 फीसदी बढ़ी हैं

- नकली उत्पादों की गतिविधियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को हर साल 1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान।
- अपनी तरह का यह पहला दस्तावेज विनियामकों, नीति निर्माताओं एवं ब्राण्ड्स को नकली उत्पादों से जुड़े रूझान समझने में मदद करेगा, यह हितधारकों को जालसाज़ी के खतरे से लड़ने में सक्षम बनाएगा
- कोविड–19 संकट के दौरान नकली उत्पादों के मामले तेजी से बढ़े। फरवरी से अप्रैल 2020 के बीच, मीडिया में ऐसे 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें नकली पीपीई किट, सैनिटाइज़र और मास्क से जुड़े मामले भी शामिल।

जुलाई ––, 2020: प्रमाणीकरण, ट्रैक और ट्रेस समाधानों के अग्रणी प्रदाता **ऑथेन्टिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (एएसपीए)** ने अपनी **रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ काउन्टरफीटिंग इन इंडिया–2020'** के पहले संस्करण का अनावरण किया। रिपोर्ट भारत में जालसाज़ी के दर्ज किए गए मामलों के रूझानों पर रोशनी डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नकली उत्पादों के मामले तेज़ी से बढ़े हैं और 2018 की तुलना में 2019 में इनकी संख्या में **24 फीसदी बढ़ोतरी** हुई है।

नकली उत्पाद एक गंभीर समस्या है और आज दुनिया का कोई भी देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। दुनिया भर में होने वाले कारोबार में **3.3 फीसदी** हिस्सा इसी श्रेणी में आता है (ओईसीडी रिपोर्ट के मुताबिक), जिसका विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। यहां तक कि कोविड–19 के दौर में भी हमने पाया है कि अपराधी प्रवृति के लोग निजी सुरक्षा एवं हाइजीन उत्पादों की मांग बढ़ने का फायदा उठा रहे हैं तथा नकली एवं कम मानकों के उत्पाद बाज़ार में उतार रहे हैं, जो हमारे पैरामेडिकल पेशेवरों, सुरक्षा स्वयंसेवियों एवं समाज के लिए बड़ा खतरा है।

PRESS RELEASE

रिपोर्ट के मुख्य परिणामः

–2018 और 2019 के बीच नकली उत्पाद के मामलों की संख्या में 24 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

–शीर्ष पायदान के 10 सेक्टर जहां नकली उत्पाद के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए– मुद्रा, एफएमसीजी, शराब, दवाईयाँ, डोक्यूमेन्ट्स, कृषि उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तंबाकू, और खुदरा प्रमुख है। इनमें से मुद्रा, शराब, और एफएमसीजी ऐसे सेक्टर हैं जहां पिछले दो सालों में नकली उत्पाद के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एफएमसीजी सेक्टर सबसे अधिक संवेदनशील है जहां 2018 (79) और 2019 (129) के बीच इन मामलों की संख्या 63 फीसदी बढ़ी है।

–उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखण्ड, दिल्ली, गुजरात और उत्तराखण्ड– इन राज्यों में नकली उत्पाद के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इन राज्यों में सशक्त नकली उत्पाद विरोधी नीति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तरप्रदेश इस दृष्टि से पहले स्थान पर है और इसके बाद बिहार, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में नकली उत्पाद के मामले सामने आए हैं। पिछले दो सालों में नकली उत्पाद के 45 फीसदी मामले इन तीनों राज्यों में दर्ज किए गए।

– नकली उत्पाद गतिविधियां सिर्फ महंगे एवं लक्ज़री उत्पादो तक ही सीमित नहीं है। रोज़मर्रा में काम आने वाले उत्पादों जैसे जीरा, सरसों तेल, घी, बालों के तेल, साबुन, बेबी केयर, वैक्सीनों, दवाओं में नकली उत्पाद के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

–कोविड संकट के दौरान **नकली हैण्ड सैनिटाइज़र, मास्क, पीपीई किट** आदि में भी नकली उत्पाद के मामले बड़ी संख्या में दर्ज किए गए हैं। फरवरी से अप्रैल 2020 के बीच, मीडिया में ऐसे 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें नकली पीपीई किट, सैनिटाइज़र और मास्क से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

नकुल पसरीचा, अध्यक्ष, एएसपीए ने कहा, *'इन रुझानों को देखते हुए इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नकली उत्पाद के कारण देश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन (1 लाख करोड़) से अधिक का नुकसान होता है, जो 21वीं सदी में प्रगति में बड़ी बाधा है। ऐसे में देश में उद्योग जगत के सहयोग से ऑथेन्टिकेशेन सिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और एक ओद्यौगिक संगठन होने के नाते हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सभी हितधारकों का सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि उद्योग, उपभोक्ता एवं सरकार के स्तर पर अधिक जागरुकता की आवश्यकता है। इस तरह का ऑथेन्टिकेशन दुनिया भर में सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा दे सकता है, जहां भरोसा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 'मेक इन इण्डिया' यानि भारत में निर्मित उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित और असली हों, इससे पहले कि वे दुनिया भर में किसी भी स्थान पर किसी भी अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचें। एएसपीए*

PRESS RELEASE

जालसाज़ी से लड़ने के कानूनों के गठन एवं नीतिनिर्माताओं की मदद हेतु अनुसंधान कर रहा है और यह रिपोर्ट इसी दिशा में एक प्रयास है।''

----------x----------